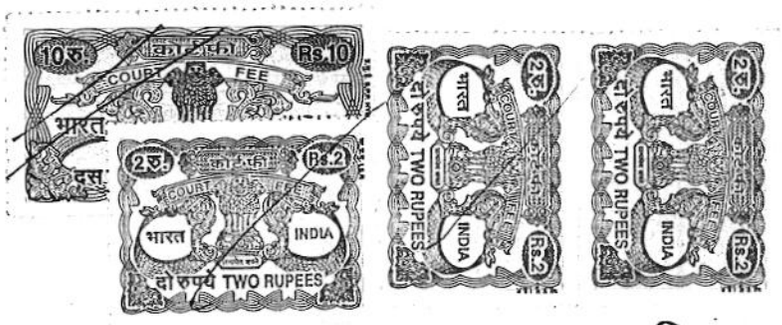

न्यायालयः— मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2014 निगरानी R3825-I/14

सीताराम पुत्र लालाराम रघुवंशी निवासी ग्राम डुगासरा तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म0 प्र0

—— आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर अशोकनगर

—— अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय कलेक्टर महो. जिला अशोकनगर के प्र.क. 249/स्व.निगरानी/06—07 में पारित आदेश दि. 30—01—2013 के विरूद्ध जानकरी दिनांक 09.10.14 से अन्दर अवधि निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

निगरानी के संक्षेप में तथ्यः—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम डुगासरा तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर के भूमि सर्वे नं. 1263/5 रकवा 0.324 हें. , सर्वे नं. 1263/6 रकबा 0.397 हें., सर्वे नं. 1265/3 रकवा 0.209 हें., सर्वे नं. 1266 रकवा 0.679 हें., सर्वे नं. 1277 रकवा 0.105 हें. किता 05 रकवा 1.714 हें. का कब्जे के आधार पर अतिरिक्त तहसीलदार ईसागडढ़ समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण पंजीवद्ध किया जाकर प्र.क्र. 76/अ—19/1994—95 पर पंजीवद्ध किया जाकर विधिवत उद्योषणा जारी की गई आपत्तियां आहूत की गई समयावधि में किसी कौई आपत्ती प्राप्त नही हुई एवं ग्राम पंचायत से अभिमत चाहा गया। ग्राम पंचायत द्वारा सर्व संमति से अभिमत प्रदान किया गया। स्थल जांच पटवारी से कराई गई पटवारी द्वारा स्थल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई प्रकरण में आवेदक स्वयं के कथन कराये गये तथा स्वतंत्र साक्ष्य ली जाकर प्रकरण में विधिवत नियमो का पालन करते हुये आवेदक के हित में विधिवत कब्जा होने के अधार पर दिनांक 11.07.1995 को विवस्थापन आदेश पारित किया गया।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3824–एक / 2014 जिला–अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
24–12–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित। अनावेदक अधिवकत शासन की ओर से श्री कमल ज़ैन उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 249 / स्व0 निगरानी / 2006–07 में पारित आदेश दिनांक 30.1.13 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी आवेदन पत्र के साथ उनके द्वारा धारा–5 का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। 2–नायव तहसीलदार ईसागढ़ द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 में आदेश पारित किया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कण्डिका 30 के अंतर्गत है जिसके कारण निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई की जा रही है। 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 10 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	